राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत भीम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम

(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं.– 22/2013 प्रा.प्र. निर्णय दिनांक– 02 जुलाई, 2015

1. श्रीमति प्रेमलता पत्नि मोहनलाल जाति भांड निवासी धर्मेशपुरी भीम तहसील भीम

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता विरदसिंह जाति रावत निवासी उदामाना का कोट भीम तहसील भीम

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>
<u>वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी</u>

यह कि ग्राम नेडी पटवार हल्का भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत 2068–2071 के खाता संख्या 222 के खसरा संख्या 14819 रकबा 16 विस्वा किस्म नहरी 2 मुझ प्रार्थीया क खरीदशुदा खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है।

उपरोक्त पद संख्या 1 मे वर्णित खसरा नम्बर 14819 की भूमि सम्बन्धी ही विवाद है इसलिये मुझ प्रार्थीया द्वारा केवल मात्र खसरा संख्या 14819 की पक्की पत्थरगढी करवाना चाहती हूँ :–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
222	14819	00	16	00	नहरी 1
कुल किता 01 रकबा 16 विस्वा					

उक्त भूमि के पडौस निम्न प्रकार है:–
पूर्व में:– डुंगा पिता पन्नाजी का पडोस
पश्चिम में :– नदी
उत्तर में:– दुदसिंह का पडोस
दक्षिण :– लक्ष्मणसिंह का पडोस

उपरोक्त आराजियात की मौके पर सही जानकारी के चिन्ह नही होने की वजह से एवं प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के मध्य लडाई झगडा होता रहता है तथा अप्रार्थी जमीन पर काटे डालकर अतिकमण कर रहा है। तथा उसे रोकने पर नही रूक रहा है तथा मरने मारने पर उतारू हो रहा है। तथा मुझ प्रार्थीया को परेशान कर रहा है। परन्तु मौके पर पक्के चिन्ह नही होने के कारण हमेशा अशान्ति बनी रहती है एवं मुझ प्रार्थीया द्वारा समझाने पर भी अप्रार्थी नही मान रहा है।

सीमा सम्बन्धी हर वक्त विवाद एवं अशान्ति बनी रहती है एवं प्रार्थीया ने अप्रार्थी को कई बार सीमा सम्बन्धित चिन्ह लगाने को कहा किन्तु वे सदैव टालम टोल करता आ रहा है और अन्त में कह दिया कि तुम न्यायालय मे जाकर जमीन की पक्की पत्थर गढी करवा लो। तब यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः वादी का वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प भीम** में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणो को बाद समझाईश आपसी राजीनामे से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजियात का दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(
सहायक कलेक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी